क्रमांक

आवेदन पुस्तिका

नगर विकास न्यास, कोटा

पन्नाधाय फार्म हाउस योजना बालिता रोड़

- कुल फार्म हाउस 11
- NH-12 बूंदी रोड पर स्थित
- कुन्हाडी चौराहे के नजदीक
- कृषि योग्य भूमि
- ऐलन केरियर इंस्टीट्यूट एवं लेण्डमार्क सिटी के नजदीक
- भूजल की उपलब्धता
- योजना 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित

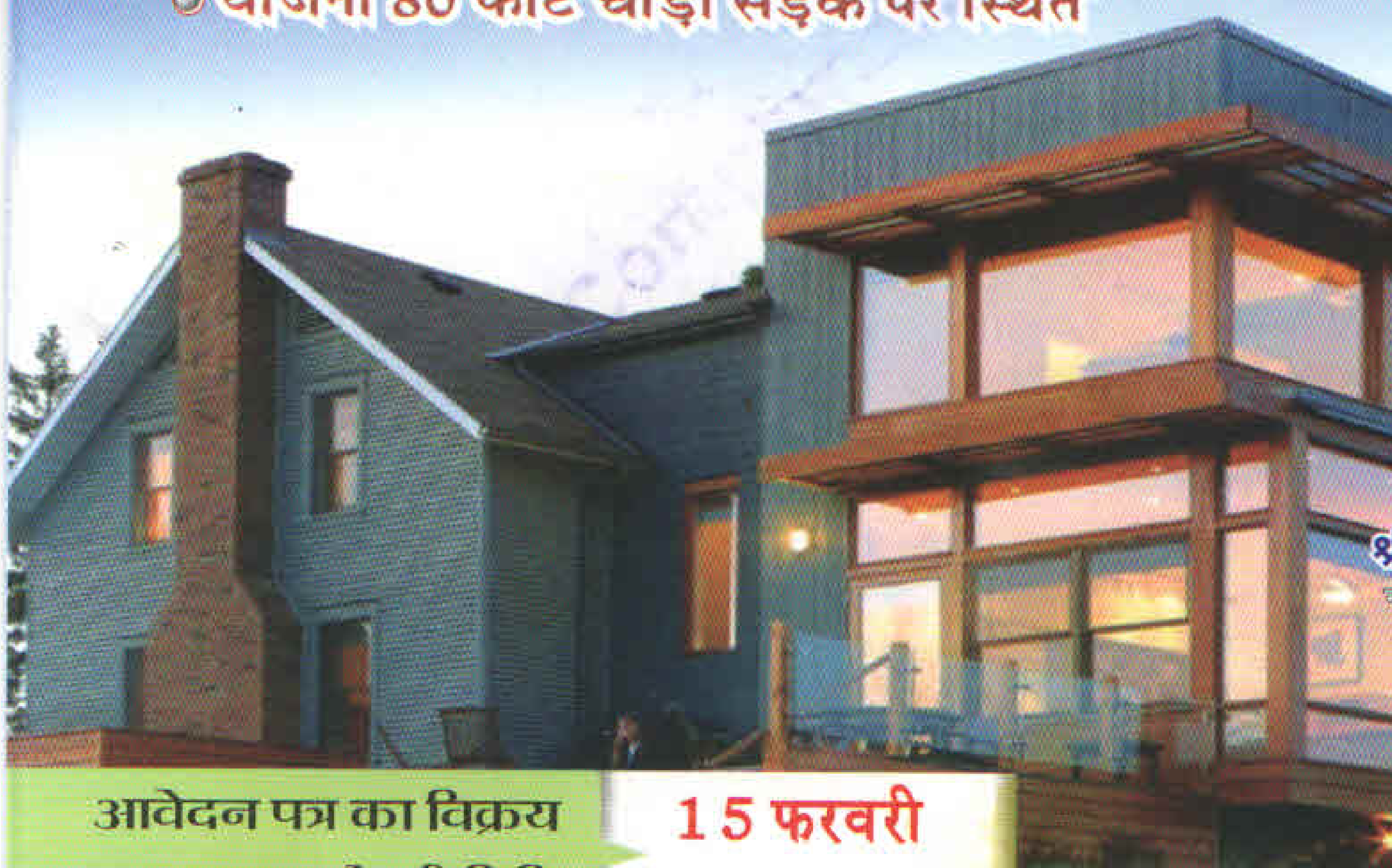

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

श्री राजपाल सिंह शेखावत
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

आवेदन पत्र का विक्रय आरम्भ करने की तिथि	15 फरवरी 2016
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	14 मार्च 2016

500/-

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है।
   पूर्ण फार्म रू. 204000/– पंजीयन राशि व प्रशासनिक शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट **सचिव नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।
2. फार्म के साथ Pan Card की स्व अनुप्रमाणित प्रति
3. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled Cheque CTS 2010 संलग्न करें।
4. निवास प्रमाण–पत्र
5. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें।
6. फोटो पहचान–पत्र

ध्यान देने योग्य बातें ......

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड़ खरीदे।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड़ों का हस्तान्तरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखाण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड़ खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें ।

नगर विकास न्यास, कोटा
Ph. : 0744 2500567
Email uitkota2002@yahoo.com www.uitkota.org

punjab national bank

Branches of Punjab National Bank :

Rajasthan Tech University,
Engineering College, Rawatbhata,
Kota, Ph.: 0744- 2470819

Shastri Nagar, Dadabari, Kota
Ph.: 0744-2500657,2500957

1241, Mahaveer Nagar 1st,
Kota Ph.: 0744-2428844

13-A, R.K. Puram, Kota
Ph.: 0744-2471513

Vigyan Nagar, Kota
Ph.: 0744-2412060

Nagar Nigam, Kota
Ph.: 0744- 2501554

Industrial Estate Aerodrome Circle,
Kota Ph.: 0744- 2361308

Rampura Bazar, Kota
Ph.: 0744- 2380615

Bhimganjmand, Kota Jn.
Kota Ph.: 0744- 2440102

मुद्रक: तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन 2420103

1.योजना स्थल:-

नगर विकास न्यास की पन्नाधाय फार्म हाऊस योजना बालिता रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 (बूंदी सड़क) से बालिता ग्राम की ओर जाने वाली मुख्य सडक के समीप स्थित है एवं कुन्हाडी चौराहे के नजदीक स्थित हैं। योजना के लिए 80 फीट चौडी सडक से सीधी पहुंच उपलब्ध है। यह योजना ऐलन केरियर इंस्टीटयूट एवं लेण्डमार्क सिटी के समीप स्थित है। ग्राम बालिता की आंबादी के समीप है। कृषि येाग्य भूमि होने एवं जल की उपलब्धता के कारण यह भूमि फार्म हाऊस हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

2.उपलब्ध भूखण्डों का विवरण:-

भूखण्डों की संख्या (लगभग)	भूखण्डों की माप (लगभग) मीटर में	अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
11	2520 वर्गमीटर से 4434.50 वर्गमीटर तक	4100 /– प्रतिवर्ग मीटर	2.00 लाख तथा
			प्रशासनिक शुल्क 4000/– (NON REFUNDABLE)

3.योजना का विवरण:-

उक्त योजना में न्यास ने 11 भूखण्ड फार्म हाऊस के लिए आवंटन हेतु निर्धारित किये है। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई–बढाई जा सकती है। सभी भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्वति से किया जावेगा। भूखण्डो की आवंटन दर 4100/–प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। आंवटी को फार्म हाऊस भूखण्डो के 10 प्रतिशत क्षेत्र पर निर्माण स्वीकृति दी जावेगी, शेष पर हरियाली विकसित करनी होगी।

4.पात्रता:-

1. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन की दिनांक को आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. आवेदक कम्पनी/फर्म/एजेन्सी होने की दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. आवेदक कम्पनी/फर्म/एजेन्सी होने की दशा में आरक्षण देय नही होगा।
4. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन–पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातो के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानको का पालन किया है।
5. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिए।

7. धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
8. यदि आवेदन संयुक्त नाम से किया गया हो, तो संयुक्त आवेदक के नाम का उल्लेख करें।
9. आरक्षित श्रेणी के मामले में आवेदक के साथ संयुक्त आवेदक के संबंध का उल्लेख करें।
10. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, डिमाण्ड ड्राफ्ट ' सचिव यूआईटी कोटा' के पक्ष मे केवल कोटा में देय होना चाहिए।

7. आरक्षण:-

इस योजना के भूखण्डों का आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

अनुसूचित जाति के आवेदको के लिए।	अनुसूचित जनजाति के आवेदको के लिए।	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवाओं के लिए।	शारीरिक निःशक्तजनों के लिए।	अधिस्वीकृत पत्रकार	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपकमों के कर्मचारियों के लिए।
9%	6%	10%	2 %	2 %	18 %

स्पष्टीकरण:-

1. जो व्यक्ति राज0 सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो वे राजस्थान सरकार के उपकमों के अधीन कार्यरत है तथा राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे आवेदक को अपने नियेाजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है ऐसे व्यक्ति का राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक का अर्थ थल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., एवं सी. आई.एस.एफ., कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है।
4. सैनिको की विधवाये वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई है।
5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे है।
6. विकलांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
7. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदको को किया जायेगा।

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक ....

नवीनतम सत्यापित फोटो

पंजीयन राशि जमा करने की अन्तिम तिथि :–

आवेदन पत्र

पन्नाधाय फार्म हाऊस योजना बालिता रोड़

1. आवेदक/संयुक्त आवेदको का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
(यदि शादी शुदा महिला हो तो पति का नाम अंकित करें)
3. आवेदक का स्थाई पता..
....मोबाईल/टेलिफोन नं ....
4. बैंक खाता संख्या................................ बैंक का नाम ....
. स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER)......................................
5. जिस वर्ग में आरक्षण चाहते है, उस पर सही (✓) का निशान लगाऐ :–
(1) सामान्य (2) अनुसूचित जाति (3) अनुसूचित जन जाति
(3) सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) (4) राज्य/अर्द्व राज्य सरकार के कर्मचारी
(5) अधिस्वीकृत पत्रकार (6) शारीरिक निःशक्तजन
6. पंजीयन राशि जमा का विवरण :–
(1) चालान .... (2) दिनांक ....
(3) राशि .... (4) डी डी नं. ....
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र (नाम अंकित करें) :–
☐ PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010
☐ निवास प्रमाण–पत्र ☐ फोटो पहचान पत्र ☐ आरक्षित वर्ग का प्रमाण–पत्र
8. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्तें स्वीकार है।
9. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड/आवास का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
10. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
11. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त आवेदको के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :

पन्नाधाय फार्म हाऊस योजना बालिता रोड़

क्रमांक

आवेदन कमांक ....

चालान राशि ....

बैंक व शाखा का नाम PNB

चालान संख्या ....

जमा करने की तिथि ....

Complimentary Copy

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील